संख्या-90/2022/465/002-100- B-2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए वचनबद्ध/ आवश्यक व्यय वहन किये जाने हेतु धनराशि निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11501/बजट 2022-23, दिनांक-06.04.2022 एवं इस संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30.12.2021 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के राजस्व लेखा शीर्षक 2056-जेलें के अन्तर्गत मतदेय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 91138.37 लाख एवं भारित मद में रू0 10.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 91148.37 लाख में से अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के राजस्व लेखा शीर्षक 2056-जेलें के अन्तर्गत वचनबद्ध/आवश्यक व्यय वहन करने हेतु मतदेय एवं भारित मद में 04 माह (अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि क्रमश: रू0 3,03,79,44,000/-(रूपये तीन अरब तीन करोड़ उन्यासी लाख चौवालीस हजार मात्र) एवं रू0 3,33,000/-(रूपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 3,03,82,77,000/- (रूपये तीन अरब तीन करोड़ बयासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के आधीन प्रदान करती हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/विस्तृत धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अधीनस्थ कार्यालयों को मासिक उपयोग के आधार पर धनराशि आवंटित की जाय, ताकि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाना सम्भव हो सके।

(3) आवंटन आदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित किये जायं। विशेष परिस्थिति में यदि अधिक धनराशि के आवंटन की आवश्यकता है तो समुचित कारण बताते हुये शासन की अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आवंटन किया जाय।

(4) मानक मद 43- सामग्री सम्पूर्ति में उपलब्ध बजट प्राविधान इस निर्देश के साथ आपके निवर्तन पर रखा जा रहा है कि कोई भी क्रय समय-समय पर वित्त् विभाग तथा उघोग विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा। किसी भी दशा में नियमों का किसी स्तर पर उल्लंघन न किया जाय।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाय कि व्य य सम्ब न्धी स्थाई वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनश्चित करते हुए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही धनराशि का व्यय किया जाय और वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30.12.2021 जो आपको भी पृष्ठांकित है, में प्रदत्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या2-7/2018/ए-1-08ए.जी./दस-2018-10(50)/2011, दिनांक-14 मार्च, 2018 द्वारा राज्य- की संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। डिपाजिट कार्यों के लिये प्राप्तश धनराशियॉ सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटैन्स लेखाशीर्षक '8782' में जमा कर वित्ते (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक-03 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में 15 डिजिट कोड सहित लेखाशीर्षक, भारित और अनुदान संख्या का उल्लेतख किया जायेगा।

(9) बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार महानिरीक्षक कारागार इस बात के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के अन्तर्गत रखा जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण में उल्लिखित मदों के नामे डाला जायेगा और इन मदों में उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा -

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनराशि (रूपये)
1	025	2056000010300 मुख्य--	01 वेतन	4,37,73,000 (रुपये चार करोड़ सैंतीस लाख तिहत्तर हजार मात्र)
2	025	2056000010300 मुख्य--	03 मंहगाई भत्ता	1,61,96,000 (रुपये एक करोड़ इकसठ लाख छियानबे हजार मात्र)
3	025	2056000010300 मुख्य--	04 यात्रा व्यय	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
4	025	2056000010300 मुख्य--	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
5	025	2056000010300 मुख्य--	06 अन्य भत्ते	83,000 (रुपये तिरासी हजार मात्र)
6	025	2056000010300 मुख्य--	08 कार्यालय व्यय	4,67,000 (रुपये चार लाख सड़सठ हजार मात्र)
7	025	2056000010300 मुख्य--	09 विद्युत देय	28,33,000 (रुपये अट्ठाईस लाख तैंतीस हजार मात्र)
8	025	2056000010300 मुख्य--	10 जलकर / जल प्रभार	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
9	025	2056000010300 मुख्य--	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
10	025	2056000010300 मुख्य--	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
11	025	2056000010300 मुख्य--	13 टेलीफोन पर व्यय	4,33,000 (रुपये चार लाख तैंतीस हजार मात्र)
12	025	2056000010300 मुख्य--	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	13,33,000 (रुपये तेरह लाख तैंतीस हजार मात्र)
13	025	2056000010300	16	1,33,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		मुख्य--	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	(रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
14	025	2056000010300 मुख्य--	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
15	025	2056000010300 मुख्य--	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	7,000 (रुपये सात हजार मात्र)
16	025	2056000010300 मुख्य--	23 गुप्त सेवा व्यय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
17	025	2056000010300 मुख्य--	29 अनुरक्षण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
18	025	2056000010300 मुख्य--	42 अन्य व्यय	17,000 (रुपये सत्रह हजार मात्र)
19	025	2056000010300 मुख्य--	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,33,33,000 (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)
20	025	2056000010300 मुख्य--	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	83,000 (रुपये तिरासी हजार मात्र)
21	025	2056000010300 मुख्य--	45 अवकाश यात्रा व्यय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
22	025	2056000010300 मुख्य--	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,33,000 (रुपये दो लाख तैंतीस हजार मात्र)
23	025	2056000010300 मुख्य--	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
24	025	2056000010300 मुख्य--	49 चिकित्सा व्यय	8,33,000 (रुपये आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
25	025	2056000010300 मुख्य--	51 वर्दी व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
26	025	2056000010300 मुख्य--	55 मकान किराया भत्ता	36,67,000 (रुपये छत्तीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
27	025	2056000010300 मुख्य--	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
28	025	2056001010300 समस्त कारागार	01 वेतन	1,35,98,06,000 (रुपये एक अरब पैंतीस करोड़ अट्ठानबे लाख छह हजार मात्र)
29	025	2056001010300 समस्त कारागार	02 मजदूरी	13,33,33,000 (रुपये तेरह करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)
30	025	2056001010300 समस्त कारागार	03 मंहगाई भत्ता	50,31,28,000 (रुपये पचास करोड़ इकतीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र)
31	025	2056001010300	04	4,20,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		समस्त कारागार	यात्रा व्यय	(रुपये चार लाख बीस हजार मात्र)
32	025	2056001010300 समस्त कारागार	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	8,33,000 (रुपये आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
33	025	2056001010300 समस्त कारागार	06 अन्य भत्ते	16,67,000 (रुपये सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र)
34	025	2056001010300 समस्त कारागार	07 मानदेय	22,000 (रुपये बाईस हजार मात्र)
35	025	2056001010300 समस्त कारागार	08 कार्यालय व्यय	2,75,000 (रुपये दो लाख पचहत्तर हजार मात्र)
36	025	2056001010300 समस्त कारागार	09 विद्युत देय	18,33,33,000 (रुपये अठारह करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)
37	025	2056001010300 समस्त कारागार	10 जलकर / जल प्रभार	16,67,000 (रुपये सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र)
38	025	2056001010300 समस्त कारागार	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)
39	025	2056001010300 समस्त कारागार	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
40	025	2056001010300 समस्त कारागार	13 टेलीफोन पर व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
41	025	2056001010300 समस्त कारागार	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
42	025	2056001010300 समस्त कारागार	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
43	025	2056001010300 समस्त कारागार	29 अनुरक्षण	1,36,67,000 (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
44	025	2056001010300 समस्त कारागार	39 औषधि तथा रसायन	3,66,67,000 (रुपये तीन करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)
45	025	2056001010300 समस्त कारागार	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	18,67,000 (रुपये अठारह लाख सड़सठ हजार मात्र)
46	025	2056001010300 समस्त कारागार	41 भोजन व्यय	60,00,00,000 (रुपये साठ करोड़ मात्र)
47	025	2056001010300 समस्त कारागार	42 अन्य व्यय	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
48	025	2056001010300 समस्त कारागार	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,80,000 (रुपये दो लाख अस्सी हजार मात्र)
49	025	2056001010300 समस्त कारागार	45 अवकाश यात्रा व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

50	025	2056001010300 समस्त कारागार	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	11,67,000 (रुपये ग्यारह लाख सड़सठ हजार मात्र)
51	025	2056001010300 समस्त कारागार	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
52	025	2056001010300 समस्त कारागार	49 चिकित्सा व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
53	025	2056001010300 समस्त कारागार	51 वर्दी व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
54	025	2056001010300 समस्त कारागार	55 मकान किराया भत्ता	1,33,33,000 (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)
55	025	2056001010300 समस्त कारागार	57 प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	53,33,000 (रुपये तिरपन लाख तैंतीस हजार मात्र)
56	025	2056001010300 समस्त कारागार	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
57	025	2056001020300 समस्त कारागार	02 मजदूरी	11,67,000 (रुपये ग्यारह लाख सड़सठ हजार मात्र)
58	025	2056001020300 समस्त कारागार	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
59	025	2056001020300 समस्त कारागार	42 अन्य व्यय	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
60	025	2056001020300 समस्त कारागार	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
61	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	01 वेतन	88,79,000 (रुपये अट्ठासी लाख उनासी हजार मात्र)
62	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	02 मजदूरी	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
63	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	03 मंहगाई भत्ता	32,85,000 (रुपये बत्तीस लाख पचासी हजार मात्र)
64	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	04 यात्रा व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
65	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	8,000 (रुपये आठ हजार मात्र)
66	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
67	025	2056008000300	08	50,000

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	कार्यालय व्यय	(रुपये पचास हजार मात्र)
68	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	09 विद्युत देय	11,67,000 (रुपये ग्यारह लाख सड़सठ हजार मात्र)
69	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	10 जलकर / जल प्रभार	2,000 (रुपये दो हजार मात्र)
70	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	17,000 (रुपये सत्रह हजार मात्र)
71	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
72	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	13 टेलीफोन पर व्यय	12,000 (रुपये बारह हजार मात्र)
73	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
74	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
75	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	29 अनुरक्षण	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
76	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
77	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
78	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	45 अवकाश यात्रा व्यय	17,000 (रुपये सत्रह हजार मात्र)
79	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
80	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	13,000 (रुपये तेरह हजार मात्र)
81	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	49 चिकित्सा व्यय	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

82	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	51 वर्दी व्यय	5,000 (रुपये पांच हजार मात्र)
83	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	55 मकान किराया भत्ता	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
84	025	2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
			कुल-	**3,03,79,44,000 (रुपये तीन अरब तीन करोड़ उन्यासी लाख चवालीस हजार मात्र)**

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 मे प्रशासकीय विभाग को को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-90/2022/465(1) /002-100- B-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in